रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2002/माघ 26, 1923

No. 174] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2002/MAGHA 26, 1923

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2002

का. आ. 208(अ).— केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी भारत सरकार के तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) की अधिसूचना सं0 78(अ) तारीख 4 फरवरी, 1999 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 27, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा था ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार की उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निदेश देती है वह राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 27 का प्रबंध राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सौंप दे ।

[सं. एन एच-14019/13/2001-(पीएण्डएम)]

सी. सी. भट्टाचार्य, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

MINISTRY OF RAOD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2002

S.O. 208(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O. 78(E) dated the 4th February, 1999issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the National Highway No. 27, in the State of Uttar Pradesh, to the National Highways Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 31 of the said Act, the Central Government is of the opinion that in the public interest it is necessary and expedient so to do, hereby directs the National Highways Authority of India to entrust the management of National Highway No.27 to the State Government of Uttar Pradesh for a period of five years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. NH-14019/13/2001-P&M]

C. C. BHATTACHARYA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2002

का. आ. 209(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार तत्कालीन परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 1181 तारीख 4 अप्रैल, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में की, अनुसूची में, क्र0सं0 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर

निम्नलिखित क्र0 सं0 और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3
"13	राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 2ए, सं0 3 (8.00 से 30.885 कि.मी. तक (आगरा-उत्तर प्रदेश/राजस्थान सीमा) छोड़कर) सं0 7, सं0 11, सं0 19, सं0 24 [27.62 से 59.00 कि.मी. तक (हापुड़ बाइपास सहित गाजियाबाद-हापुड़ को छोड़कर) और 148.43 से 166.65 कि.मी. (मुरादाबाद बाइपास) को छोड़कर] सं0 25 [11.380 से 75.500 कि.मी. तक (लखनुऊ-कानपुर) को छोड़कर] सं0 26, सं0 27, सं0 28 सं0 58 सं0 72ए, सं0 73, सं0 74, सं0 75, सं0 75 का विस्तार, सं0 76 सं0 86, सं0 87 और सं0 92 का उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित खण्ड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 24ए, सं0 29, सं0 56, सं0 58 विस्तार, सं0 91, सं0 93, सं0 96 और सं0 97.	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार" ।

[सं. एन एच-14019/13/2001-(पीएण्डएम)]

सी. सी. भट्टाचार्य, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

टिप्पण :— मूल अधिसूचना सा0का0नि0 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और उसमें पिछली बार 3 दिसंबर, 2001 के का0आ0 सं0 1191 अ के तहत संशोधन किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2002

S.O. 209(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Transport number S.R.O.1181,dated the 4th April,1957, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for Sl. No. 13 and entries relating

thereto, the following Sl. No. and the entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"13	So much of National Highways No. 2A, No. 3 (excluding from Km. 8.00 to Km. 30.885 (Agra- Uttar Pradesh / Rajasthan Border), No. 7, No. 11, No. 19, No. 24 [excluding from Km. 27.62 to Km. 59.00 (Ghaziabad-Hapur including Hapur bypass) and excluding from Km. 148.43 to Km. 166.65 (Moradabad Bypass)], No. 25 (excluding from Km. 11.380 to Km. 75.500 (Lucknow-Kanpur), No. 26, No.27, No. 28, No. 58, No.72A, No. 73, No. 74, No. 75, Extension of National Highway No. 75, No. 76, No. 86, No. 87 and No. 92 as are situated within the State of Uttar Pradesh and National Highways No. 24A, No.29, No.56, No. 58 Extension, No.91, No. 93, No. 96 and No. 97.	State Government of Uttar Pradesh".

[No. NH-14019/13/2001-P&M]

C. C. BHATTACHARYA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.

Note :— The principal notification was published in the Gazette of India vide No. S.R.O. 1181 dated the 4th April, 1957 and lastly amended vide notification No. S.O. 1191 (E) dated the 3rd December, 2001.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.